फैक्स/स्पीडपोस्ट

संख्या-5/692/चालीस-2014-बजट(08)/2014

प्रेषक,

अशोक घोष,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊ : दिनांक 07 अगस्त, 2014

विषय - महान विभूतियों के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सदभाव से सम्बन्धित कार्यक्रमों का आयोजन कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके जनपद में ऐसी ज्ञात एवं अज्ञात विभूतियों/महात्मा/सन्त/सदपुरूष जिन्होंने स्थानीय समाज में भाई-चारे की भावनाओं को विकसित करने तथा विभिन्न सम्प्रदायों के बीच आपसी मेल मिलाप के माहौल को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय योगदान दिया हो, किन्तु धनाभाव के कारण जिनकों अपेक्षित पहचान न मिल पाई हो, के जन्म दिन मनाये जाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों या जिला प्रशासन के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्रति जनपद रू0 35,000/- (रू0 पैंतीस हजार मात्र) की दर से अर्थात कुल रूपये 26,25,000/- (रूपये छब्बीस लाख पच्चीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने/व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- जनपद स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन इस प्रकार किया जाय कि जनपद के मुख्यालय के साथ-साथ जनपद के अन्य क्षेत्रों में भी सम्प्रदायिक सदभाव व आपसी भाईचारे की भावना प्रबल हो सके ।

3- आवंटित धनराशि के कोषागार से आहरित किये जाने के उपरांत प्रत्येक आहरण की डी0डी0ओ0 शीट की प्रमाणित प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी । साथ ही, व्यय का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 20-02-2015 से पूर्व शासन को उपलब्ध करा दिया जाएगा तथा धनराशि का उपयोग करने के पश्चात् आंकडों का मिलान महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद से कराकर उनके द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति शासन को 01-03-2015 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें ।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-53 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक " 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर 800-अन्य व्यय-08-महान विभूतियों के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सदभाव कार्यक्रमों का आयोजन-42-अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

6- ये आदेश वित्त् विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

(अशोक घोष)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-692(1)/चालीस-2014-बजट(08)/2014 तददिनांक -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। (नोडल अधिकारी)
(3) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
(5) वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट एवं प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन-15, नार्थ हिल रोड, इलाहाबाद।
(6) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
(8) निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनउ ।
(9) समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10)गार्ड बुक/बजट सहायक।

आज्ञा से,

(राम लखन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in